न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 07/2023

GCMS NO. : 2023/2

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थी :–
1. श्रवण देवासी जातियान देवासी, निवासी–खातीखेड़ा, जैतारण जिला ब्यावर।		1. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायम करने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:–13/01/2023

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान, गौतम कुमार, नरेश कुमावत, पियुष सागर, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :–31/01/2024

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में प्रार्थी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3597/1481 रकबा 0.4149 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थी की खातेदारी अलग से तरमीम हो रखी है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 3597/1481 में जाने के लिये वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता इन्द्राज नहीं है तथा प्रार्थी वर्तमान समय में खसरा नम्बर 3597/1481 अर्थात अपने हक हिस्से की आराजी में जाने के लिये खसरा नम्बर 1479 गै0मु0 कांकर से अपनी आराजी में आता जाता है और उपयोग उपभोग करता है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1479 गै0मु0 काकर की आराजी आई हुई है और उसके आगे आम सडक खसरा नम्बर 1150 आई हुई है इस प्रकार प्रार्थी की आराजी व आम सडक के बीच में खसरा नम्बर 1479 की आराजी आई हुई है जिसमें से प्रार्थी की कई वर्षो से अपनी आराजी में आता जाता रहा है और अपनी आराजी का उपयोग व काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी जो कि अपनी आराजी में आने जाने हेतू खसरा नमबर 1479 में से कुछ भू–भाग रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग मे लेता चला आ रहा है जिसे नजरी नक्शे मे लाल स्याही से मार्क ए,बी,सी, व डी से दर्शाया गया है उक्त नजरी नक्शे मे अंकित आराजी से प्रार्थी अपनी आराजी मे आने जाने हेतु पिछले कई वर्षो से उपयोग मे ले रहा है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे लाल स्याही से वर्णित भू–भाग रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है और राजस्व रेकर्ड मे उक्त भाग खसरा नम्बर 1479 का हिस्सा है तथा किस्म गै0मु0 काकर है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रकार मुख्य सडक से प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतू नजरी नक्शे में वर्णित लाल स्याही के मार्क ए,बी,सी,डी को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें, जिससे कि प्रार्थी अपनी आराजी में आ जा सके उस पर काश्त कर सके बिना किसी रोकटोक के उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतू कोई भी मौके पर वैकल्पिक एव निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में ऐसा कोई वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता मौजूद है जिससे कि प्रार्थी अपनी आराजी में आसानी से आ जा सके एवं उसका उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थी को अपनी आराजी मे मौके पर आने जाने के लिये निकटतम रास्ता जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी लाल स्याही से दर्शाया गया है इसी से पहले प्रार्थी अपनी आराजी मे आता जाता, काश्त करता, खडाई बुवाई करता परन्तु अब आस पास के कुछ खातेदारों ने उक्त लाल स्याही से वर्णित मार्क ए बी सी डी भाग पर कांटे डालकर अतिक्रमण कर लिये व मौके पर प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता चल रहा था उसे बन्द कर दिया और उक्त नजरी नक्शे मे वर्णित रास्ते को बंद करने के बाद वर्तमान समय में प्रार्थी के पास मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थी के पास कोई निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए से बी लाल स्याही से दर्शित भू-भाग को सावर्जनिक रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जावे और मौके पर उक्त रास्ते को सुचारू करवाया जावे। जिससे कि प्रार्थी अपनी आराजी का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र कायम करवाने रास्ता का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र दिनॉंक 27/11/22 को प्रस्तुत कर रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर मौके पर रास्ता सुचारू करवाने हेतू निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और राज्य सरकार की आराजी बताते हुए रास्ता देने से इन्कार कर दिया तब प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में स्थित होने से उक्त प्रकरण का एक मात्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात व नजरी नक्शा पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 3597/1481 में आने जाने हेतू खसरा नम्बर 1479 के भू-भाग में से नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए बी सी डी लाल स्याही से वर्णित 30 फिट चौडे भू-भाग को सावर्जनिक रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जावे एवं अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1479 की आराजी में [illegible] का रकबा निर्धारित होता है उस रकबे की डी.एल.सी. रेट से दुगनी राशि प्रार्थी से जमा कर रास्ते को सावर्जनिक रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज [illegible] मौके पर रास्ते को सुचारू करवाया जावे एवं मौके पर नापचौप कर रिकार्ड एवं मौके पर रास्ता कायम करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थी/तहसीलदार, जैतारण एवं भू-अभिलेख निरीक्षक रास ने सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शा. मि. है।

तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत फर्द रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्रवण देवासी पुत्र देवाराम जाति राईका के नाम राजस्व ग्राम रास-। के ख.नं. 3597/1481 क्षेत्रफल 0.4149 हैक्टेयर किस्म बा.दो. भूमि दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी खातेदार है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि तक जाने के लिए राजस्व ग्राम रास-। के खसरा नं. 1479 में से होकर जाना पड़ता है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि तक जाने का एक मात्र रास्ता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा न हीं राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यधिक आवश्यकता है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2023 अनुसार ग्राम रास-। के ख.नं. 3597/1481 क्षेत्रफल 0.4149 हैक्टेयर किस्म बा.क्षे. भूमि प्रार्थी श्रवण देवासी पुत्र देवाराम जाति-राईका सा0 खातीखेड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। जो तरमीमशुदा है तथा प्रार्थी स्वंय एक मात्र खातेदार है। प्रार्थी की कृषि भूमि ख. नं. 3597/1481 में जाने के लिए वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी की कृषि भूमि तथा रास से पालियावास जाने वाली मुख्य सड़क ख.नं. 1150 क्षेत्रफल 3.2375 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता के बीच 1479 क्षेत्रफल 4.7105 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कांकर (राजकीय भूमि) अवस्थित हैं, दर्ज रेकॉर्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1479 में से होकर आवागमन करता आ रहा है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा रास्ता कदीमी चल रहा है। प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नहीं है। तहसीलदार जैतारण की मौका फर्द में खसरा नम्बर 1479 में से लम्बाई 44 मीटर चौडाई 9.15 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0402 हैक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित है, जो कि रास से पालियावास की सड़क खसरा नम्बर 1150 से होकर वादी की आराजी खसरा नम्बर 3597/1481 तक जाता है।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निणर्यन निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में प्रार्थी की [illegible] एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3597/1481 रकबा 0.4149 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तक पहुंच के लिए कोई अभिलेखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1479 गै0मु0 काकर की आराजी आई हुई है और उसके आगे आम सडक खसरा नम्बर 1150 आई हुई है इस प्रकार प्रार्थी की आराजी व आम सडक के बीच में खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunder Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

1479 की आराजी आई हुई है जिसमें से प्रार्थी की कई वर्षों से अपनी आराजी में आता जाता रहा है और अपनी आराजी का उपयोग व काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान समय में प्रार्थी के पास मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।

2. प्रकरण में तहसीलदार जैतारण मय भू-अभिलेख निरीक्षक लाम्बिया की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11.06.2023 को तैयार एवं दिनांक 11.08.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि तक जाने के लिए राजस्व ग्राम रास-। के खसरा नं. 1479 में से होकर जाना पड़ता है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि तक जाने का एक मात्र रास्ता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा न हीं राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यधिक आवश्यकता है।

3. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-

(1) जहाँ

(क)-कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(i)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(ii)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:50 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

4. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुँच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की जोत खसरा नम्बर 3597/1481 रकबा 0.4149 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तक पहुँच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है, जो कि पत्रावली में उपलब्ध भू-नक्शा तथा तहसीलदार जैतारण की ओर से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुँच मार्ग की मांग नहीं की गई है। तहसीलदार जैतारण द्वारा जाँच प्रतिवेदन में रास्ते हेतु रास से पालियावास सड़क खसरा नम्बर 1150 की ओर से खसरा नम्बर 1479 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कांकड में से होते हुए वादी की वादग्रस्त आराजी के लिए लम्बाई 44 मीटर एवं चौड़ाई 9.15 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0402 हैक्टेयर प्रस्तावित की गई है।

5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 5,03,698/- रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 50.37 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 5,03,698/- रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात 50.37 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 100.74 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये खसरा नम्बर 1479 रकबा 4.7105 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 कांकड में से 403 वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि राशि 40,600/- अक्षरे चालीस हजार छः सौ रूपये मात्र राजकिय भूमि होने से 0029 भू-राजस्व मद में जमा होनी है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित [illegible] से इसे स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1479 गै0मु0 कांकड़ भूमि में से होकर में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 3598/1481 की सीमा तक पहुँच के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रास की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 1479 में लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

स्याही से मार्क को प्रस्तावित रास्ता जो 44 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौड़ा दर्ज किया जाना है जिसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 40,600/- (अक्षरे चालीस हजार छः सौ रूपये मात्र) प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदार राजस्थान सरकार को भू-राजस्व मद 0029 में प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील जैतारण जिला ब्यावर में प्रार्थी की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3597/1481 रकबा 0.4149 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की जमीन तक पहुँच मार्ग के लिये अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 1479 किस्म गै0मु0कांकड भूमि में से मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से मार्क प्रस्तावित रास्ता जो 44 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौड़ा कुल रकबा 0.0402 हैक्टेयर बनता है, भूमि पर से राजस्थान सरकार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा राजस्थान सरकार की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 1479 में से कम किया गया कुल रकबा 0.0402 हैक्टेयर के लिये कुल प्रतिकर राशि 40,600/- (अक्षरे चालीस हजार छः सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 40,600/- रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित पक्षकार राजस्थान सरकार को भू-राजस्व मद 0029 में जमा करावें। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू-अभिलेख निरीक्षक रास द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2023 इस आदेश का एक भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 30/01/2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण